



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभारी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट में 02 अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 18,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1540/2008 धारा- 323/504/506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.निजाम पुत्र अब्दुल कलाम 2.बण्टी पुत्र इमामबक्स निवासीगण मुहल्ला पठकाना कस्बा व थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹18,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
विजय सिंह



विवेचक-
सीओ जोगेन्द्र
लाल



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 रजनीश कुमार